

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) Kumaun University, Nainital (Uttarakhand)

| Ref: | | | | | | | | | Date: | |
|----------|---|----------------|----------|-------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|
| | | | | Sessio | n 2023-24 | 4 | | | | |
| 2.1.2 Nu | umber of se | eats filled ag | _ | ats reserve | | - | - | | cable res | ervation |
| 2. | 1.2.1: Num | ber of actu | al stude | nts admitte | d from th | ne reserv | ed catego | ories duri | ng the ye | ear |
| Voor | Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule | | | | Number of students admitted from the reserved category | | | | | |
| Year | SC | ST | ОВС | Gen | Others | SC | ST | ОВС | Gen | Others (Gen- EWS) |
| 2023-24 | 882 | 186 | 650 | 2923 | | 721 | 53 | 160 | 1521 | 75 |

Registrati Remain University NAINITAL

अस्ति । भिन्न / असम्बद्ध = 7 - 2001 - 53/11/2001

प्रयक्त.

राकंश शर्मा, सचिव. उत्तरां इत शासना

सेवा मे.

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराँचल शासन।

समस्त जिलाधिकारो. उत्तराँचल।

समस्त विभागाध्यक्ष. उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग

देहरातून:दिनांक: जुलाई १९ ३७०१

विषय - राज्याधानि सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में ।

सहोदय, ्र उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन हां। उत्तराँचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजितक उद्यमी/निगमों, स्वायत्वरणर्ग संस्थओं/शिक्षण संस्थओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्यन्य मे सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व आन्तम आकंड उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या(रेपिड सर्वे)के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी को जातियों को सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रातशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तराँचल राज्य मं आरक्षण अनिनाम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(1) अनुसूचित जाति

(2) अनुसूचित जनजाति

04%

(3) भन्य विका की . 14%

3) Disabled persons

03%

4) Dependents of freedom fighters

02%

The woman /person to which class she /he belongs, horizontal reservation will be allowed in the same class.

1) Permanent policy regarding reservation will be decided separately

Sincerely

(Rakesh Sharma) Secretary

Letter number 1144/ karmic-2-2002-53(1)/2001 on date

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

- 1) Secretary to the Governor of Uttaranchal Government.
- 2) Secretary Public Service Commission Uttaranchal Haridwar.
- 3) Registrar High Court Uttaranchal.
- 4) Commissioner, Schedule Caste and Tribe, Uttaranchal, Dehradun.
- 5) Secretary, Legislative Assembly, Uttaranchal, Dehradun.
- 6) Personal Secretary to all Ministers for consideration of Hon'ble Ministers.
- 7) All Sections of the Secretariat.
- 8) Guard File

by order

(R. C. Lohani) Under Secretary



F. No.20013/01/2018-BC-II Government of India

Ministry of Social Justice and Empowerment Department of Social Justice and Empowerment

> 17th January, 2019 Shastri Bhawan, New Deini

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions.

In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the Constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

- 2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:
 - L 5 acres of Agricultural Land and above;
 - ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - fii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

Films

And the

ता मिह स्पर्धानकः प्रमुख लिख स्थानकः हास्त्र

#51 T

- ্জাত পূজা লাখ্য একার্ডিল সাম্প্র
- सपस्य प्रमुख समिय, समिय उत्तराहल गासन।
- स्परतः विभागाध्यकः / कार्यालकस्यमः उत्तरः गतः ।
- तणाता पत्रम गारासक (कुमार्थ) नारा पत्रेतः
- अपना निजित्तिकारी, जल्दरावात.

4 F 7 77 17 - 2

देशादुन , विश्वक ३६ जुलाई अल्ल

कुर - एक्टर र पा राज्याक्षण संबोध र नेपमी र सर्वाविक हुवार एक सा एक्ट सी प्रस्ताओं में भवित्य को विकित्र वारमण हुवार असी होते के अम्बर्ध सेर

131470

पुर्वा के चुनाई 2001 के प्रमाप 201 साम कलार कर निवास के कि शास्त्राचेता जीवार्थ 1144 है उससिक-2 2001-55(1), 2001, देनका 18 जुनाई 2001 के प्रमाप 201 साम कलार कर पास्त्र का पत्र अध्यास्त्र देश प्रतिकात केलिए आपक्तम प्रमुक्तर किया रहा है

- 3. इस सकत्य ने शाला झान तम् अमे हिष्णास्थानम् उत्तरमध्य १००० तम् प्रणायधीम् सायाओं, निगमा सायोजनिक उद्यमी एउ समयत्त्रमाली मध्योजन त उत्तरशाम ताया की भित्रेताओं के लिए प्रतराम कीतिया अस्क्षण 20 प्रतिश्व कर बद्धाकर अ तत्वत विश्व यान का विजय तथा है। उदल 30 प्रतिशत है। उत्तर अस्त सम्मार्थ में सामू मार्थ होगा, जहां स्थम राज्या प्रश्म हो सभी हा अति विजयत प्रवासित हो गाँउ डा अत्य तथा प्रणाय प्रश्मियपारित नहीं सामः।
- कुरत उपराम्नानुस र जिल्लाहात राज्य की महिलाओं था लिए प्राृतिक आरंधन तिया लाला सुनिश्चित करम का कर्द

11277 127

(पृथ गिह मगजन्मल) गण्ड ग्लेक से जन्म

मृप सिंह नपल्थाल, प्रमुख सचिव, उत्तराचल शासन।

रोवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव. उत्तरांचल शासन। सगरत जिलाधिकारी, उत्तरांचल। सगस्त विधागाष्ट्यल, उत्तरांचल।

कार्षिक अनुभाग-2

देहरायून : विनास 22 मई. 206

विषय- राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं राष्ट्रा सार्वजनिक <u>घटानी एवं</u> रवायणशासी संस्थाओं में आरक्ष्

महोदय,

उपर्युक्त विषय तर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनारेश संख्या 1144/कार्मिक—2/2001—53(1)/2001, दिनाक 18 जुलाई, 2001 के प्रस्तर 2 (६) हारा भूलपूर्व रौनिकों को 02 प्रतिशत होति आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन हारा शत्यक विद्याशेषरान्त राज्यकों ने शिक्षा संख्याओं तथा सावजानिक अध्या एवं स्वायत्त्रशासी संस्थाओं न गृतपूर्व शैनिकों के लिए वर्तमान क्षेति आरक्षण 02 प्रतिशत को बहाकर 05 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया है।

कृषया उपरावसम्बाः भ्रम् संविकों के लिए हो। या आरक्षण (देया जाना सुनिक्षित करने र कन्ट भरें)

क. व्हरिष्ट.

न्म निष्ठ समञ्ज्ञाल. समञ्ज्ञासक्त

. कुमाऊँ विश्वविद्यालय स्लोपी हॉलो, नैनीताल-263001, उत्तराखण्ड



Kumaun University

(Accredited Grade "A" by NAAC)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आधारित



www.kunainital.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों
(बी० ए०, बी० एस—सी०, बी० कॉम०)
के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश
2023

प्रवेश नियम (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु) (शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से प्रभावी)

अध्याय-1 साधारण नियम-

- 1-1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1-2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1-3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनिन्तम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनिन्तम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय /संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1-4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1-5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- 1-6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1-7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित

- महाविद्यालय/विश्वविद्यालय-परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सिहत लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अविध के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय पिरसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दिण्डत किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1-8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी / सिमिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार / निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सिहत प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दिण्डत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/ संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 - (ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दिण्डत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।
- 1-10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

- 1-11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है-
 - 1- अनुसूचित जाति
 2- अनुसूचित जनजाति
 3- अन्य पिछडा वर्ग
 19 प्रतिशत
 04 प्रतिशत
 14 प्रतिशत
 - 4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अविध से पूर्व का न हो।)

नोट - स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा-

 (1)
 महिलाऐं
 30 प्रतिशत

 (2)
 भूतपूर्व सैनिक
 05 प्रतिशत

 (3)
 दिव्यांग
 05 प्रतिशत

 (4)
 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित
 02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

- 1-12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।
 - (i) Extension in date of admission upto 30 days
 - (ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
 - (iii) Waiving of domicile requirements.
- 1-13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्निलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा-
 - (क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक
 - (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर 20 अंक में भाग लेने पर)-
 - (ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/ 20 अंक पति/पत्नी/सगाभाई/बहन-
 - (घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्ब्ध-सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा 20 अंक जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति /पत्नी/सगाभाई/बहन-
 - (ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर शासन स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में 50 अंक

- प्रतिभाग करने पर
- (च) अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल 40 अंक प्रतियोगिता पर पदक प्राप्त करने पर
- (छ) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल 30 अंक प्रतियोगिता पर प्रतिभाग करने पर
- (ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में 25 अंक प्रतिभाग करने पर
- (झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में 25 अंक प्रतिभाग करने पर
- (ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में 25 अंक विजेता अथवा उपविजेता
- (ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत खेल प्रतियोगिता प्रमाण पत्र 20 अंक जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर
- (ठ) अन्तर-महाविद्यालय स्तर में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी शासन स्तर पर 15 अंक मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता की टीम का सदस्य होने पर नोट उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नही जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।
- 1-14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय्/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापित्त (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक उस पाठ्यक्रम की योग्यता सूची (Merit Index) के अन्तर्गत आने तथा स्थान रिक्त होने की दशा में ही प्रवेश अनुमन्य होगा।
 - (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 1-15 कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों /पिरसरों /संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं /पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष पिरिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1-16 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष / प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपित जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा

- (ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।
- 1-17 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।
- 1-18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का नियन्त्रण - अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

अर्हता निर्धारण के नियम

(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)

(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय-2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम -

2-1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट / Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

- (क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :-
 - (1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
 - (2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
 - (3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
 - (4) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
- (ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुर्त्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता हैं तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश सिमिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।
- 2-2 शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपित जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 2-3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए

पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

- 2-4 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता-क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अविध रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।
- 2-5 The candidates for the Under-Graduate programs shall have to two compulsory paper/ subject and choose one optional-subject combinations as per the group-scheme provided below:

(a) For Bachelor of Science (B. Sc.):

- (i) Subjects available in the group A and B are compulsory for the candidate.
- (ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from group C mentioned below from its own faculty or from the *other faculty.

 *Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

| Group A | Group B | Group C | |
|-------------|---------|--|--|
| Mathematics | Physics | Chemistry Computer Science Information Technology Geology Statistics | |

| Biology groups: | | | | |
|-----------------|---------|---|--|--|
| Group A | Group B | Group C | | |
| Botany | Zoology | Chemistry Information Technology Geology Forestry | | |

(b) For Bachelor of Arts (B. A.):

- A candidate has to opt for two major subjects from the group mentioned below by taking one subject from any group.
- (ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from the groups mentioned below (own faculty) or from the *other faculty. *Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

| A | В | C | D | E | F |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| ENGLISH LITERATURE | DRAWING AND PAINTING | GEOGRAPHY | EDUCATION | HINDI LITERATURE | POLITICAL SCIENCE |
| KUMAUNI BHASA | ECONOMICS | HISTORY | SOCIOLOGY | | |
| SANSKRIT LITERATURE | HOME SCIENCE | MUSIC | | | |
| | PHYSICAL EDUCATION | YOGA | | | |
| | PSYCHOLOGY | | | | |

(c) For Bachelor of Commerce (B. Com.):

- (i) A candidate has to opt two major papers from its own faculty.
- (ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from its own faculty or from the *other faculty.

2.16

| GROUP A | GROUP B | GROUP C |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Financial Accounting | Business Regulatory Framework | Business Organisation & Management |
| | | Business Communication |

^{*}Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

वैधानिक नियन्त्रण - विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ-पत्र

- गे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ /करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/पिरिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
- 2. मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
- 3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
- 4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमित न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- विक्षा के प्रति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमित न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर-

प्रति हस्ताक्षरित (सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

हस्ताक्षर-पिता/अभिभावक





Kumaun University (Accredited Grade "A" by NAAC)

स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0एस-सी0/एम0कॉम0)

प्रथम सेमेस्टर



www.kunainital.ac.in

प्रवेश नियम

शैक्षणिक सत्र 2023-24

स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0एस-सी0/एम0कॉम0) प्रथम सेमेस्टर हेतु प्रवेश नियम

शैक्षणिक सत्र 2023-24

अध्याय-1 साधारण नियम-

- 1-1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1-2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1-3 परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउसिलंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर / महाविद्यालय / संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र / फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1-4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश सिमिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- 1-6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- (क) जो अभ्यर्थी नैतिक श्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक श्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय-परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सिहत लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दिण्डत किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1-8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष /प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी /सिमिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार /निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सिहत प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 1-9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दिण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/ संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 - (ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।
- 1-10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 1-11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है-

1- अनुसूचित जाति
 19 प्रतिशत
 2- अनुसूचित जनजाति
 04 प्रतिशत

3- अन्य पिछडा वर्ग 14 प्रतिशत

4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अविध से पूर्व का न हो।)

नोट - स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा-

 (1)
 महिलाऐं
 30 प्रतिशत

 (2)
 भूतपूर्व सैनिक
 05 प्रतिशत

 (3)
 दिव्यांग
 05 प्रतिशत

 (4)
 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित
 02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

- 1-12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।
 - (i) Extension in date of admission upto 30 days
 - (ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
 - (iii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise. Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.
 - (iv) Waiving of domicile requirements.
 - (vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.
- 1-13 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा-
 - क) एन0सी0सी0 'बी' 'सीं' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक
 - (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में 20 अंक भाग लेने पर)-
 - (ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/ 20 अंक पति/पत्नी/सगाभाई/बहन-
 - (घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा 20 अंक जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति /पत्नी/सगाभाई/बहन-
 - (ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर शासन स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग 50 अंक करने पर
 - (च) अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल 40 अंक प्रतियोगिता पर पदक प्राप्त करने पर
 - (छ) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल 30 अंक प्रतियोगिता पर प्रतिभाग करने पर
 - (ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में 25 अंक प्रतिभाग करने पर
 - (झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में 25 अंक प्रतिभाग करने पर
 - अन्तर महाविद्यालय स्तर पर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता
 अंक अथवा उपविजेता
 - (ट) जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत खेल प्रतियोगिता प्रमाण पत्र 20 अंक जिला / मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर
 - (ठ) अन्तर-महाविद्यालय स्तर में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी शासन स्तर पर 15 अंक मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता की टीम का सदस्य होने पर

नोट - उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

- 1-14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातकोत्तर स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापित्त (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।
 - (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 1-15 (क) स्नातकोत्तर (एम0 ए0/एम0 एस-सी0/एम0 कॉम0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 1. कु0 वि0 वि0 के नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में कुमाऊँ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् होने के बाद एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0 एस-सी0/एम0 कॉम0) कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
 2. विश्वविद्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिये जाने की तिथि से 01 माह के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) परिसर/महाविद्यालय में जमा कर विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 1-16 कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों /पिरसरों /संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक (व्यवसायिक) कक्षाओं /पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष पिरस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय /संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1-17 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपित जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।
 - (ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।
- 1-18 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय / पिरसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1-19 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण - विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

> कुलसचिव कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

स्नातकोत्तर (एम0ए0 /एम0एस-सी0 /एम0कॉम0)

प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम

(शिक्षा सत्र 2023-2024)

अध्याय-2 योग्यता सूची निर्धारण के नियम -

- 2-1 अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग तथा दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
- 2-2 यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य एवं विज्ञान की प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में अनुत्तींण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान अथवा वाणिज्य से कला संकाय में प्रवेश लेना चाहता है एवं साथ ही स्नातकोत्तर (कला संकाय) का कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तींण हो गया है अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना विषय परिवर्तित कर कला संकाय के अन्तर्गत परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेत् आवेदन करना होगा।
- 2-3 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।
- 2-4 शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपित जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 2-5 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
- 2-6 स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता-क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अविध रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा। परन्तु यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के "सेण्टर ऑफ एडवांस स्टडीज" विभागों में उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों हेतु योग्यताक्रम में आने की स्थित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से निर्गत् निर्देशानुसार प्रवेश किये जा सकते हैं।
- 2-7 प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसे निर्धारित अर्हता उपाधि बी०ए० या बी० काम० में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि न्यूनतम 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत या बी०एस-सी० में न्यूनतम 45 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत अंक होने पर) ही प्रवेश अर्ह किया जाएगा। एतदद्वारा निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 2-8 विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (विज्ञान संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत के

साथ उर्त्तीण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु केवल स्नातक स्तर में पढ़े हुए विषयों में ही अर्ह माने जायेंगे।

(क) स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम (जहाँ लागू हो) - अधिमान के रूप में कुमाऊँ विश्व विद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक । = (x+2 y) के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम् 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे।

Calculation of Index for P.G.-I Semester Admission. (Wherever Applicable)

- I = X+2Y (Merit Index)
- X= Marks obtained in all subjects at U.G. level

taken at the U.G. level)

Y= Total marks obtained at U.G. level in the subject in which admission is requested at P.G.

(Admission would be given to P.G. Semester-I, only in one of the subjects

Page | 8

- 2-9 कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0 द्वारा मान्तया प्राप्त संस्थाओं से उत्तींण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला ∕वाणिज्य ∕विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तींण की हो, को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा। कला संकाय के स्नातकोत्तर स्तर में प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों (भ्रापेल विज्ञान प्रविज्ञान प्राप्तिक प्रयोगित प्राप्तिक प्रथम स्वर्णित का स्वर्णित प्राप्तिक प्रयोग स्वर्णित प्रथम सेमेस्टर में प्रयोगात्मक परीक्षा
 - उत्तींण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तींण की हो, को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा। कला संकाय के स्नातकोत्तर स्तर में प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों (भूगोल, चित्रकला, गृहविज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, पुरातत्व शास्त्र, एन्थ्रोपॉलीजी व सैन्य विज्ञान) में केवल वे ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे जिनका स्नातक स्तर पर वह विषय रहा हो (उदाहरण भूगोल विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु केवल वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिनका स्नातक स्तर पर भूगोल विषय रहा हो)।
- 2-10 वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा-ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (वाणिज्य संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अई माने जायेगे।

वैधानिक नियन्त्रण - विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

> कुलसचिव कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ-पत्र

- 1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ /करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा /रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा /लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम /पिरिनियम /अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा /करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा / रहूँगी ।
- 2. मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
- 3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ /करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
- 4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमित न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर-

प्रति हस्ताक्षरित (सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्राखप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

हस्ताक्षर-पिता/अभिभावक